भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1365

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनईईटी-एसएस के लिए कट-ऑफ प्रतिशतांक संबंधी संशोधन

1365. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष के सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-एसएस) के साथ-साथ एनईईटी-पीजी, 2023 में अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप एनईईटी-एसएस के लिए कट-ऑफ प्रतिशतांक सीमा को पुन: संशोधित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एसोसिएशन ने सरकार से सभी रिक्त सीटों को भरने के लिए मॉप-अप राउंड/स्पेशल राउंड शेड्यूल को शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एसोसिएशन की इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-एसएस) के मॉप अप राउंड/विशेष राउंड की काउंसिलिंग 05.02.2024 से आरम्भ हो गई है और 15.02.2024 को समाप्त होगी।

******